न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 60/2014/अपील

गोपालसिंह पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी भैरूजी मोड़ रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. फुलचन्द } पुत्रगण नारायण
2. जीवणराम }
3. बाबुलाल } पुत्रगण हुक्माराम
4. श्रवण }
5. देबुराम } पुत्रगण रूपाराम
6. मुलचन्द }
7. कमला देवी स्त्री मन्नाराम
8. रामेश्वर पुत्र बिडदू
9. भगवाना पुत्र बिडदू

   समस्त जाति जाट निवासी भैरूजी मोड़ रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
10. इन्द्रा देवी स्त्री महेश कुमार जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 14 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
11. हरफूलसिंह पुत्र पदमाराम
12. सांवरमल } पुत्रगण सुरजाराम
13. औमप्रकाश }
14. दाखली स्त्री सुरजा राम
15. प्रभातीलाल पुत्र चन्द्राराम
16. धोला } पुत्रगण ईशरा
17. लिछमण }
18. हीराराम } पुत्रगण राजू
19. भानाराम }
20. कमलकिशोर दत्तक पुत्र नुन्दाराम

    समस्त जाति जाट निवासी भैरूजी मोड रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
21. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2294 दिनांक 29.05.2012 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर बाबत खसरा नम्बर 3426/1, 3422/1, 3420/1, 3421/1, 3423/1, 3429 से 3440 एवं 3447 तन ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा
वकील रेस्पोडेंट श्री रणधीर सिंह

निर्णय दिनांकः—31.12.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता नारायण, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पिता हुक्माराम एवं रूपाराम पुत्र स्व0 डूंगाराम, मन्नाराम पुत्र स्व0 डूंगाराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 9, 14, 12 व 13 ने एक दावा सहायक जिलाधीश महोदय प्रथम श्रीमाधोपुर के यहां दावा उनवानी नारायण आदि बनाम हनुमान आदि दावा संख्या 1106/02 बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन आराजी ख0नं0 3420 लगायत 3427, 3438, 3429 लगायत 3440 एवं 3447 कुल किता 22 कुल रकबा 14.51 हैक्टर तन ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर बाबत प्रस्तुत किया। उक्त दावे में अपीलान्ट बतौर प्रतिवादी संख्या 12/2 था। उक्त दावे की अपीलान्ट पर विधिवत तामील हुये बिना व बिना उसे सनुवाई व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2012 के द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय डिक्री को निरस्त किए जाने हेतु अपीलान्ट ने योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहा एक आवेदन अ0 आदेश 9 नियम 13 सी. पी.सी संपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जो अभी जेरतजवीज है व उक्त आवेदन के साथ प्रार्थी/अपीलांट ने एक आवेदन पत्र अ0 धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांकित 17.02.2012 की क्रियान्विती स्थगित रखी जावे व प्रार्थी को उसकें कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे, ना जबरन कब्जा करे व न राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाकर दीगर को विक्रय रहन या अनतरण करे तथा न ही राजस्व परिवर्तन करे, बल्कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन अ0 धारा 151 सीपीसी पर अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपनी आज्ञा दिनांक 01.05.2012 के द्वारा विवादित आराजियात ख0नं0 3420 लगायत 3427, 3438, 3429 लगायत 3440 एवं 3447 कुल किता 22 कुल रकबा 14.51 हैक्टर तन ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया व उक्त आदेश की तामिल रेस्पोडेन्ट संख्या 21 तहसीलदार श्रीमाधोपुर पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर पर विधिवत होते हुये भी योग्य अधिनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी आज्ञा दिनांक 29.05.2012 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 2294 तन ग्राम रींगस स्वीकार कर दिया। योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2012 की क्रियान्विती स्वयं उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनवानी गोपाल बनाम जीवण वगै0 अ0 धारा 151 सीपीसी मे अपने आदेश दिनांक 01. 05.2012 के द्वारा रोक दी व उक्त आदेश की जानकारी हल्का पटवारी नायब तहसीलदार व स्वयं तहसीलदार श्रीमाधोपुर को होते हुये भी उन्होने अपनी आज्ञा दिनांक 29.05.2012 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 2294 तन ग्राम रींगस स्वीकार करने की आज्ञा देने में कानूनी गलती की है। अधिनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने नामान्तरकरण जेर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य पक्षकारों को न तो कोई नोटिस व सूचना दी और न ही सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की व बिना कब्जे की जांच किए योग्य अधिनस्थ तहसीलदार को नामान्तकरण स्वीकार करने का कोई अधिकार नही था। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने नामान्तकरण जेर अपील स्वीकार करने से पूर्व नामान्तकरण सम्बन्धी नियमों की पालना नही की है इस प्रकार आज्ञा जेर अपील निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2294 दिनांक 29.05.2012 को निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मु.न. 1106/02 अनुवानी नारायण बनाम हणमान वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2012 इजराय क्रमांक 327 दिनांक 27.04.2012 व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 104 दिनांक 30.04.2012 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.04.2012 को भरा गया व भू.अ.निरीक्षक की जांच उपरांत तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.05.2012 को नामान्तकरण तस्दीक किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में प्रार्थी गोपाल पुत्र चन्द्राराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजियात के सम्बंध में प्रार्थी को उसके हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल नही करने, राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करने एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पेश किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 01.05.2012 को आदेश पारित किया कि "स्थगन पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमि खसरा नम्बर 3420 से 3430, 3431 से 3446, 47 कुल किता 22 रकबा 14.51 है0 तन ग्राम रींगस की यथास्थिति बनाये रखे।" चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.05.2012 को तस्दीक किया गया है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त आराजियात की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिनांक 01.05.2012 को पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 01.05.2012 में विवादग्रस्त आराजियात की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंकित किया हुआ है, जबकि उक्त यथास्थिति आदेश विवादग्रस्त आराजियात के रिकॉर्ड की यथास्थिति, मौके की यथास्थिति व अन्य किस सम्बंध में यथास्थिति रखी जाने हेतु पारित किया गया है इस बाबत स्पष्ट अंकित नहीं किया हुआ है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में तस्दीक किया गया है, जिसके सम्बंध में पारित उक्त स्थगन आदेश स्पष्ट नहीं होने से चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण में किसी प्रकार की दखलंदाजी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर